

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं.:— 05 / परीक्षा / A.S.O. / TSP / 2017–18

दिनांक : 28.03.2018

आयोग द्वारा आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी) के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या निम्नानुसार है:-

**विशेष नोट :-** इस विज्ञापन के तहत केवल राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अधिकारी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अधिकारी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अधिकारीयों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अपात्र होंगे।

| कुल पदों की संख्या | U.R.    |       |       |            | S.C.    |       |       |            | S.T.    |       |       |            |
|--------------------|---------|-------|-------|------------|---------|-------|-------|------------|---------|-------|-------|------------|
|                    | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता |
| 24                 | 10      | 2     | 1     | 0          | 1       | 0     | 0     | 0          | 7       | 2     | 1     | 0          |

दण्डवत आश्वासन — भूतपूर्व सेनिक 3 पद, विशेष योग्यजन 1 पद (LD/CP-I)

**1. शैक्षणिक योग्यता -**

- At least a second class master's degree in Mathematics, Statistics, Economics, or Commerce **OR** Master degree in any of the above subject with one year's diploma in Statistics from a recognized University established by law in India.
- "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. **OR** Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi. **OR** Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council or Vocational Training Scheme. **OR** Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government. **OR** Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/Computer Application as one of the subjects. **OR** Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic institution recognized by the Government. **OR** Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

**2. अनिवार्य योग्यता :-** Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

**3. आयु :-** दिनांक 01.01.2019 को अनुसूचित आयु से कम।

**4. वेतनमान :- Pay Matrix Level (L-11)**

### आयु सीमा में छूट

| क्र.सं. | अधिकारीयों का वर्ग  | आयु सीमा में देय छूट (वर्षों में)                                  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 1       | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष | 5  |                |
| 2       | राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला       | 10   |                |
| 3.      | सामान्य वर्ग की महिला   | 5  |                |
| 4.      | विधवा एवं विविहित विवाह (परित्यक्ता) महिला  | अधिकारीयों द्वारा आयु सीमा नहीं                                    |                |
| 5.      | निःशक्तजन   | सामान्य<br>पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग<br>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 10<br>13<br>15 |

### अन्य विशेष श्रेणियों द्वारा आयु सीमा में छूट

|    |   |
|----|---|
| 1  | भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकारीय आयु सीमा लागू नहीं होगी।  |
| 2  | अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकारीय नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।   |
| 3  | राजस्थान राज्य के कारोबार में <b>Substantive</b> रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में <b>Substantive</b> रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकारीय आयु सीमा 40 वर्ष होगी।   |
| 4  | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिथिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।  |
| 5  | रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिथिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।   |
| 6  | The upper age limit in the case of Ministerial and Class IV Employees of the Department for category of posts reserved for them under these Rules shall be 40 years.  |
| 7  | रिजिस्टर्स अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकारीय आयु सीमा 50 से कम होनी चाहिए। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। |
| 8  | एन.सी.सी. के कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बराते परिणामिक आयु अधिकारीय आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।  |
| 9  | पूर्ण अफीका के देश कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीबार से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।  |
| 10 | सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।   |

**नोट -**

- उपरोक्त वर्गित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अधिकारीयों को उपरोक्त वर्गित किसी भी एक प्रावधान का अधिकारीय आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अधिकारीय आयु सीमा लागू नहीं होती तो उन्हें अवधि अवधि के बराबर छूट होगी।
- सहायक सांख्यिकी अधिकारी (पूर्व पद नाम सांख्यिकी सहायक) के पद हेतु पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अधिकारीय दिनांक 01.01.2019 को अधिकारीय कोहते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकारीय आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाएंगी।

### अन्य विवरण

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| चयन प्रक्रिया                   | अधिकारीयों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।   |
| शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान | पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।  |
| परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम       | इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।   |
| परीक्षा का स्थान एवं माह        | इन पदों की परीक्षा अजमेर एवं जयपुर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।   |
| आवेदन अवधि                      | दिनांक 17-04-2018 से दिनांक 06-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।   |
| आवेदन प्रक्रिया                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>अधिकारीयों द्वारा आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline">https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline</a> से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर State Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा।</li> <li>State Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अधिकारीय परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।</li> <li>अधिकारीयों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर State Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।</li> </ol> |

|               |   |
|---------------|---|
|               | 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।<br>5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।<br>6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके। |
| ऑनलाइन संशोधन | ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक <b>07-05-2018</b> से दिनांक <b>13-05-2018</b> तक रात्रि <b>12-00</b> बजे तक।  |

**PATTERN OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF ASSISTANT STATISTICAL OFFICER**

**(I) Examination Pattern/Scheme**

| S. No.   | Subject                               | No. of Questions | Total Marks | Examination Duration |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Part – A | General Knowledge                     | 30               | 30          | 2 Hours              |
| Part – B | Statistics, Economics and Mathematics | 70               | 70          |                      |

1. According to syllabus there will be 100 Questions of Multiple choice (Objective Type) carrying equal marks.

2. There will be Negative Marking. 1/3 mark will be deducted for each wrong answer.

3. The minimum qualifying marks shall be 40% of total marks of the examination.

4. The Standard of paper will be that of Master's Degree Level.

**विशेष नोट :-**

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाइन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**विशेष सूचना :-** "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(दीप्ति शर्मा)  
उप सचिव